अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
	आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा भूमि विवाद अपील संख्या–134/2012 1 धनवीर महतो 2. प्रकाश महतो उर्फ राम प्रकाश महतो 3. राम बहादुर महतो उर्फ राम पे0 स्वर्गीय मुनेश्वर महतो सभी निवासी मौजा–लालपुर, थाना–वीरपुर ओ0पी0 भीमनगर, जिला–सुपौल..... अपीलकर्त्ता बनाम 1. राज्य सरकार .....विपक्षी संख्या–1 2. योगेन्द्र प्रसाद पे0 स्वर्गीय बादशाह निवासी वीरपुर वार्ड न0–09 थाना–वीरपुर जिला सुपौल.....विपक्षी संख्सा–2 **आदेश**	
2-12-2014	यह अपील, अपीलकर्त्ता द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, वीरपुर के बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद संख्या–75/11 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2012 के विरूद्ध दाखिल किया गया है। 2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विद्वान सरकारी अधिवक्ता को राज्य सरकार की ओर से सुना। 3. अपीलकर्त्ता का उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कथन है कि विवादित भूमि का विवरण निम्न है, जो निम्न न्यायालय में भी अपील आवेदन में वर्णित है :– अनुसूची–1 की जमीन मौजा–लालपुर, थाना न0–2	

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
31	48 पु0 114 115 116 117 127 128 नया	7 क0 10 धूर	उत्तर निज विक्रेता दक्षिण–पीच रोड पू0–विपक्षीगण प0–बिहारी मुखिया
101	43 पु0 118 119 126 नया		
79	49 पु0 120 नया		

अनुसूची 2 जो अनुसूची 01 का पश्चिम अंश है :–

मौजा लालपुर थाना न0 2

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
31	48 पु0/114 115, 116, 117 नया	1 कट्ठा	उत्तर–नया खेसरा 116, 117 का अंश रकवा दक्षिण–पीच रोड पूरब–नया अंश रकवा पश्चिम–बिहारी मुखिया

अपीलकर्त्ता के पूर्वज को भूतपूर्व जमींदार द्वारा वर्ष 1352 फसली 1945 में खाता पुराना 69 खाता नया 76, 118, 31, 101, 79, 84, 69, 94 की जमीन बन्दोबस्त की गयी एवं जमाबंदी संख्या–38 कायम था एवं सरकार के सारिस्ता में दिनांक 13.11.1965 को वंशज के नाम से खतियान दर्ज हुआ। इस तरह अपीलकर्त्ता के पूर्वज दखलकार हुए। अनुसूची 01 में दर्ज जमीन नारायण महतो एवं लक्ष्मी महतो पिता–बच्चा महतो ने विपक्षी संख्या–2 के पिता बादशाह प्रसाद को दो विक्रय दस्तावेज संख्या–5496 एवं 5497 दिनांक 24.09.1969 द्वारा रकवा 7 कट्ठा 10 धूर जमीन विक्रय कर दिया एवं वे दखलकार हुए। बादशाह प्रसाद विक्रय दस्तावेज संख्या–8107,8108 दिनांक 13.11.1998, 19.11.1998 द्वारा 3 कट्ठा 10 धूर जमीन शोभा मिश्रा को एवं 2 कट्ठा जमीन अनिल मिश्रा को चौहद्दी पूरब नारायण महतो, पश्चिम–राजकुमार महतो (अपीलकर्त्ता संख्या–01 एवं 02 के पिता) अंकित करते हुए बेच दिया। पुनः बादशाह प्रसाद ने दो विक्रय दस्तावेज संख्या–8109, 8110 द्वारा 1 कट्ठा जमीन रेणु झा को एवं 2 कट्ठा जमीन जीवनाथ मिश्रा को चौहद्दी उत्तर नारायण महतो (अपीलकर्त्ता के पूर्वज) दक्षिण निज बादशाह प्रसाद अंकित करते हुए बेच दिया। इसतरह बादशाह प्रसाद द्वारा 7.5 कट्ठा जमीन खरीदी गयी एवं 8.5 कट्ठा जमीन बेच दी गयी। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि योगेन्द्र प्रसाद (विपक्षी संख्या–2) द्वारा वास्तविक रकवा के बिपरीत दावा किया जा रहा है, जो सही नही है। विपक्षी संख्या–2 द्वारा विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, वीरपुर के न्यायालय में वाद संख्या–75/11 दाखिल किया गया एवं दावा किया गया कि उनके पिता द्वारा 7.5 कट्ठा जमीन की

खरीदगी की गयी थी, जिसका जमाबंदी संख्या-163 है। अपीलकर्त्ता (निम्न न्यायालय में विपक्षी) द्वारा 1 कट्ठा जमीन (अनुसूची संख्या-2) हड़पने की नियत से गुमटी तथा बाँस फूस का झोपड़ी खड़ा कर दिया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा वाद भूमि अनुसूची संख्या-2 की जमीन 1 कट्ठा विपक्षी संख्या-2 का मानते हुए अपीलकर्त्ता को दखल कब्जा हटाने का आदेश पारित किया गया, जो गलत है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया कि विपक्षी संख्या-2 के पिता बादशाह प्रसाद द्वारा 7.5 कट्ठा जमीन खरीदी गयी एवं विभिन्न विकय दस्तावेज द्वारा 8.5 कट्ठा जमीन की बिकी की गयी। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वास्तविक जमीन से ज्यादा 1 कट्ठा अपीलकर्त्ता का है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित अपने आदेश दिनांक 07.02.2012 में अंकित किया गया है कि बादशाह प्रसाद (विपक्षी सख्या-2 के पिता) द्वारा 6 कट्ठा 10 धूर जमीन बिकी की गयी, जो स्पष्ट करता है कि निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी के मेलमिलाप में आकर गलत आदेश पारित कर विपक्षी संख्या-2 को अनूचित लाभ देते हुए अपीलकर्त्ता को अपनी ही जमीन खाली कराने का आदेश दिया गया। अपीलकर्त्ता संख्या-1 गरीब रिक्सा चालक है, उन्हे न्याय दिया जाय। निम्न न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाय एवं उनके अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

4. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही ठहराया गया।

5. विपक्षी संख्या-02 का उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कथन है कि उनके द्वारा निम्न न्यायालय में दाखिल भूमि विवाद वाद में कागजी सबूतों के आधार पर एवं स्थल निरीक्षणोपरान्त आदेश पारित किया गया है, जो सही, दुरूस्त एवं सत्य पर आधारित है, अपीलकर्त्ता द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में लगभग 73 दिन के उपरान्त दिनांक 20.04.2012 को दाखिल किया गया है, जो कालबाधित है। उभय पक्ष की सुनवाई के पश्चात् कागजाती सबूतों एवं ओ0पी0 भीमनगर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उनके पिता ने अपीलकर्त्ता के दादा नारायण महतो एवं लक्ष्मी महतो से वर्ष 1969 में जमीन खरीदकर दखलकार चले आ रहे हैं एवं जमाबन्दी संख्या-163 कायम है। निविर्वाद रूप से वाद भूमि का चकबन्दी खाता विपक्षी संख्या-2 के पिता के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता के दादा नारायण महतों एवं धनवीर महतो ने बादशाह प्रसाद (विपक्षी संख्या-2 के पिता) के नाम से दो केवाला दस्तावेज केवाला संख्या-5496 एवं 5497 दिनांक 24.09.1969 से 3 कट्ठा 15 धूर एवं 3 कट्ठा 15 धूर अर्थात् 7.5 कट्ठा जमीन बेच दिया। पुनः दिनांक 14.04.1973 को नारायण महतो का लड़का राजकुमार महतो ने बादशाह प्रसाद के हाथ 2 कट्ठा जमीन केवाला संख्या 4848 द्वारा बेच दिया। इस तरह अपीलकर्त्ता के पिता एवं दादा ने बादशाह प्रसाद को कुल 9 कट्ठा 10 धूर जमीन बेच दिया, जिनके द्वारा दाखिल खारिज के बाद लगान रसीद प्राप्त किया गया। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि

अपीलकर्त्ता द्वारा इस बात को छिपा लिया गया कि उनके पिता राजकुमार महतो द्वारा विपक्षी संख्या-2 के पिता बादशाह प्रसाद को 2 कट्ठा जमीन केवाला किया। इस तरह बादशाह प्रसाद के नाम से चकबन्दी में तीनो केवाला से प्राप्त 9 कट्ठा 10 धूर दर्ज हुआ, जो उनके द्वारा दाखिल एनेक्सर से स्वतः स्पष्ट हो जाता है। बादशाह प्रसाद के द्वारा वर्ष 1988 में 1.5 कट्ठा शोभा मिश्रा को 2 कट्ठा अनिल मिश्रा को 1 कट्ठा रेणु झा को तथा 2 कट्ठा जमीन जीवानन्द मिश्रा के नाम से कुल 6 कट्ठा 10 धूर जमीन केवाला संख्या-8107, 8109, 8110 दिनांक 13.11.1988 एवं 19.11.1988 से बेच दिया एवं बॉकी 2 कट्ठा में से बादशाह प्रसाद के पुत्र योगेन्द्र प्रसाद ने 15 धूर प्रमोद प्रसाद गुप्ता को बेच दिया। शेष 5 धूर जमीन को योगेन्द्र प्रसाद (विपक्षी संख्या-2) द्वारा चौहद्दी में अपना निजी दर्शाया है। इसतरह विपक्षी संख्या-2 को 5 धूर जमीन शेष बचा, जिसके मात्र वे ही उत्तराधिकारी है, जिसपर लोभी का ऑख गड़ा हुआ था, विपक्षी संख्या-2 का घर वाद भूमि से करीब पॉच किलोमीटर दूर वीरपुर में है, जिसका अनुचित लाभ लेकर अपीलकर्त्ता द्वारा हड़पने की नियत से गुमटी एवं बॉस-बाड़ी लगा दिया गया। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि वर्षो पूर्व इस जमीन में सीमा विवाद को लेकर विपक्षी संख्या-2 के पड़ोसी बिहारी मुखिया से तकरार हुआ था, जिसमें 107 एवं 144 दं0प्र0सं0 का मुकदमा चला, जिसमें विपक्षी संख्या-2 के पक्ष में आदेश हुआ। विपक्षी संख्या-2 द्वारा बिकी की गयी जमीन पर खरीददार का घरद्वार है, जिसपर वे रह रहे है। निम्न न्यायालय द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त सुनवाई के पश्चात् आदेश पारित किया गया, जो सही है। इस वाद में 19.10.2012 को ही वाद ग्रहित किया गया है।

6. निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख, आदेश, वाद अभिलेख पर उपलब्ध कागजात अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन, विपक्षी संख्या-2 के द्वारा दाखिल लिखित बहस दिनांक 02.12.2014 का अवलोकन किया। उभय पक्षों द्वारा बहस के दौरान रखे गये तथ्यों पर भी गौर किया। अपीलकर्त्ता का दावा है कि विपक्षी संख्या-2 के पिता द्वारा 7.5 कट्ठा जमीन की खरीदगी की गयी एवं विभिन्न केताओं के द्वारा 8.5 कट्ठा जमीन बेच दी गयी। वास्तविक रकवा के विपरीत 1 कट्ठा, जो नही है, उसपर दावा किया जा रहा है (अनुसूची संख्या-01 एवं अनुसूची 02, जो अनुसूची 01 का पश्चिम अंश दृष्टव्य) विद्वान भूमि सुधार समाहर्त्ता, वीरपुर के आदेश दिनांक 07.02.2012 द्वारा विपक्षी संख्या-2 के पिता के द्वारा खरीदगी जमीन 7.5 कट्ठा जमीन तो दर्शायी गयी है, परन्तु विपक्षी संख्या-2 के पिता एवं अन्य द्वारा 6 कट्ठा 10 धूर जमीन बिकय दर्शायी गयी है, तथा अनुसूची-2 की 1 कट्ठा उनके पिता को बचा हुआ जमीन दर्शाते हुए अपील स्वीकृत किया गया। वही विपक्षी संख्या-2 का कथन है कि शेष जमीन 5 धूर पर अपीलकर्त्ता द्वारा गुमटी इत्यादि लगाकर दखल करने का आरोप लगाया गया है।

विपक्षी द्वारा अपने दावों के सदर्भ में सभी राजस्व कागजात एवं

मालगुजारी रसीद दिखाया गया जो मान्य है। निम्न न्यायालय द्वारा भी आदेश पारित करने के पूर्व स्थल निरीक्षण किया जा चुका है। विपक्षी के पिता के नाम से प्रश्नगत् भूमि का चकबन्दी खाता में भी नाम दर्ज है। निम्न न्यायालय के आदेश को सम्पुष्ट करते हुए वादी का आवेदन खारीज किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

2.12.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

2.12.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा